न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/562

1. भज्या लाल सैनी आयु 67 वर्ष आत्मज श्री कजोड जाति माली निवासी पारोलिया का बरडा ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. बलदेव बैरवा आयु 70 वर्ष आत्मज नेनगा जाति बैरवा निवीस पारोलिया का बरडा ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. छोटू सिंह आयु 70 वर्ष आत्मज छीतर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. छोगा लाल आुय 55 वर्ष आत्मज पन्ना जाति माली निवासी पारोलिया का बरडा ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. गौरीशंकर आुय 40 वर्ष आत्मज माधो जाति माली निवासी पारोलिया का बरडा ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीबाई पुत्री रामनारायण जाति नाई निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. बादाम बाई विधवा रामनारायण जाति नाई निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. नन्दा
4. श्योजी
5. महावीर पिसरान रामनारायण जाति नाई निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. लेखराम
7. हेमराज
8. मेडीलाल पिसरान नन्दलाल जाति नाई निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. ग्राम पंचायत चेता जरिये सरपंच साहब ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री राजकुमार गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 12.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन

कि प्रार्थीगण के निजी आवश्यकता एवं सुखाधिकार के अपने खेतों पर आने–जाने के लिये पारोलिया का बरडा से ग्राम अकलोड रोड तक जाने वाले रास्ते में आराजी खसरा नम्बर 1110 एवं 1111 के मध्य की मेड पर बने हुए 60 फिटर लम्बे एवं 30 फिट चौडे रास्ते की भूमि की कीमत प्रार्थीगण से अप्रार्थी रामनारायण को दिलाई जावे तथा भविष्य में इस रास्ते के उपयोग–उपभोग में अवरोध उत्पन्न नहीं करने व रास्ते को बहाल रखने का आदेश दिया जावे। यदि दौराने कार्यवाही अप्रार्थीगण रास्ता बन्द कर दे तो इसी कार्यवाही में रासता वापस बहाल करवाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 22.05.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.05.2017 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी राजस्व लोक अदालत समाप्त होने के बाद निर्णित प्रकरणों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में एक वाद पूर्व में ही वर्ष 2015 से न्यायालय सिविल न्यायाधीश हिण्डोली में विचाराधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया हुआ है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम

लान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को गुणागुण के आधार पर निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 12.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा